"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11335/वि. स./विधान/2015. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 35 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 35 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 में, शब्द "एक अन्य सदस्य" के स्थान पर, शब्द "दो अन्य सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1954) के प्रावधानों के अधीन किया गया था.

और यत:, राज्य वित्त आयोग एक अस्थायी निकाय है और उसे अपना कार्य एक निश्चित समयावधि में पूरा करना होता है.

अतएव, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के प्रस्तावित प्रावधानों के कारण, राज्य शासन पर अनुमानित वित्तीय भार रु. 40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र) होगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 का सुसंगत उद्धरण

धारा 3
राज्य वित्त आयोग
का गठन

राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य से मिलकर बनेगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.